पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 136/2017/अपील

मुरलीधर पुत्र झूथाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम कांवट तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के निर्णय दिनांक 13.04.2015 प्रकरण संख्या 01/2015 बउनवानी सरकार बनाम मुरलीधर

वकील अपीलांट श्री सांवरमल

निर्णय **दिनांक:-08.01.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के खिलाफ पटवारी हल्का कांवट द्वारा दिनांक 31.12.14 को एक निराधार रिपोर्ट योग्य अधिनस्थ तहसीलदार खण्डेला के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मुरलीधर पुत्र झूथाराम सैनी निवासी कांवट ने सम्वत् 2071 में भूमि खसरा नम्बर 2298 कुआ रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बंजड प्रथम में से रकबा 0.01 हैक्टर पर दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त निराधार रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.15 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जो नोटिस अपीलांट के नाम जारी किया गया उसकी विधिवत तामील करवाये बिना ही दिनांक 13.04.15 को अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की अनुपस्थिति मानते हुए पारित कर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमित रकबे पर फसल खड़ी होना माना गया है, जो सरासर गलत है। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की कोई पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को सूचना सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के खिलाफ पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांट की दुकान करीब 18 वर्ष से बनी हुई है। विवादित जगह काफी वर्षों से आबादी के काम में ली जा रही है। विवादित भूमि को आबादी भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित करने बाबत ग्राम पंचायत कांवट द्वारा भी कार्यवाही चालू की जा चुकी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाते समय न्यायिक मस्तिष्क का कतई प्रयोग नहीं किया गया। केवल मात्र पूर्व से छपे छपाये प्रफोर्मा में निर्णय पारित कर दिया गया। जो कानूनन निर्णय की श्रेणी में ही नहीं आता है। अपीलांट का विवादित जगह पर पुराना कब्जा है, जिसके कारण अपीलांट के हक में नियमन का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत एवं न्याय संगत हैं। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2015 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक कावंट द्वारा अपीलांट के हक आधिपत्य की दुकान को कुर्क कर ताला लगाकर सीज कर दिया गया। जिसके कारण अपीलांट का दुकान के अन्दर काफी सामान जो कि बेचने के लिए पड़ा था, अन्दर ही अन्दर खराब हो रहा है। अतः

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम कावंट के खसरा नम्बर 2298 (कुआ) रकबा 0.03 है0 किस्म बंजड़ में से 0.01 है0 पर दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट को दुकान निर्माण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः दुकान निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 13.04.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official